

सं० सं० 14/एम 11-2/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
सेवा में,  
निदेशक,  
टाटा स्मारक अस्पताल,  
परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 24.2.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	कृष्णा देवी पति-अशेश्वर प्रसाद सिंह ग्राम-भीखनपुर पो०-जिला-भागलपुर थाना-तीलका मांझी केस फाइलनं०-सीएल/34353	कैंसर रोग	₹ 30,000/- (तीस हजार) स्वीकृत।
2	उषा देवी पति-उपेन्द्र कुमार गुप्ता ग्राम-पो०-पोखरा थाना-महराजगंज जिला-सीवान केसफाइलनं०-सीएन/01121	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3	वागेश्वरी कुमारी पिता-योगेन्द्र कुमार पोद्दार ग्राम-मधुवन पो०-तुरकाही थाना-जिला-मधेपुरा केसफाइलनं०-सीएम/37212	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	सरोजा देवी पति-बलदाउ सिंह ग्राम-पो०-मुडी थाना-चैनपुर जिला-भभुआ, कैमुर केसफाइल नं०-सीएन/01992	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।

20/11/16  
9/3/16

5	सुदामा कुमार कुशवाहा पिता—रामवतार कुशवाहा मोहल्ला—कोलनी नं०-2 थाना—नगर पो०+जिला—कटिहार केसफाइलनं०—सीएम/17413	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/—(एक लाख ) स्वीकृत।
			कुल ₹ 3,30,000/

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,30,000/— ( तीन लाख तीस हजार ) रूपया का क्रास चेक सं० 5792-04.....मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन


ह०/-

( डा. आजाद हिन्द प्रसाद )  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक - 10-3-16

ज्ञापांक - 355 (14)

प्रतिलिपि—लेखापाल,स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21/3/16

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,  
हेल्थ केयर ग्लोबल इंटर प्राइजेज लि०  
पी. कर्लीगा राव रोड, सम्पनगीराम नगर  
बंगलौर 560027 ।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 24.2.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	शबाना खातुन पति-हारुण रसीद ग्राम-मखदुमपुर डीह पो०+थाना-मखदुमपुर जिला-जहानाबाद	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख ) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,00,000 /

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- ( एक लाख ) रुपये का क्रास चेक सं०.....

579203.....मूल रूप में संलग्न है।

3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 352(14)

पटना, दिनांक 10-3-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) /सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21/3/16

सं० सं० 14/एम 11-2/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार,पटना

प्रेषक

डा०. आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,  
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान  
राय बरेली रोड, लखनऊ,-226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 24.2.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मानव कुमार पिता-सचिन यादव ग्राम-हसनगंज पो०-साफीयाबाद थाना-कासीम बाजार जिला-मुंगेर सी.आरन०-2014060725	हेपेटाइटिस बी० रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
2	परशुराम कुमार पिता-स्व. राम स्वरूप मंडल ग्राम-पूर्वी टोला फरदा पो०-फरदा थाना नया रामनगर जिला-मुंगेर सी.आरन०-2015032666	सर्जरी	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
3	अभिषेक चन्द्र पटेल पिता-सुभाष चन्द्र सिंह ग्राम-भी.आई.पी.कोलोनी रोड नं०-2, भभुआ पो०+थाना-भभुआ जिला-भभुआ, कैमुर सी.आरन०-2015886895	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 2,50,000 /-(दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
4	विक्की कुमार पिता-मुन्ना कुमार ग्राम-कसबा करीमाबाद पो०-झाउगंज थाना-मेंहदीगंज जिला-पटना सी.आरन०-2012326341	टयुमर रोग	₹ 50,000 /-( पचास हजार) स्वीकृत।

31/3/16  
3/3/16

5	कैलाशी देवी पति-ललीत मोहन प्रसाद ग्राम-पठखौली पो0-मलकौली थाना-बगहा जिला-प0 चम्पारण सी.आरनं0-2015767858	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
6	पुनम देवी पति-अरुण शर्मा ग्राम-पश्चिमारी रौजा पो0-छपरा थाना-नगर, जिला-सारण सी.आरनं0-2010575962	किडनी रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 5,30,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,30,000/- (पांच लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 509239 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 पी0ई0डी0 खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस0जी0पी0जी0आई0,RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0. आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 509239 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक - 10-3-16

ज्ञापांक - 343 (14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों /आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21/3/16

पत्रांक 14 एम 11-2/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक

बी०एम० बीडला,हार्ट रिसर्च, सेंटर

1/1 नेशनल लाईब्रेरी एवेन्यु

कोलकत्ता-700027

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 24.2.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	आशा देवी पति-राज नन्दन प्रसाद ग्राम-पीर मंसुर धर्मसभा पो०-हेड पोस्ट आफिस थाना-सिविल लाइन जिला-गया	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,25,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि 1,25,000 /-( एक लाख पच्चीस हजार.) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 509237 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30570709502, खाता धारक का नाम- बी०एम० बीडला हार्ट रिसर्च सेंटर कोलकत्ता, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-अलीपुर ब्रांच, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0000004 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुपयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

30/11/16  
9/3/16

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०.....~~509237~~...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 350 (14)

पटना, दिनांक - 10-3-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21.1.16

## प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

अधीक्षक,  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय:—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 24.2.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	शबनम प्रवीण पति—मो० असलम ग्राम—सुल्तानपुर पो०—दानापुर कैंट थाना—दानापुर जिला—पटना सी.भीनं०—22821/15	हृदय रोग	₹ 1,10,000/—(एक लाख दस हजार) स्वीकृत।
2	राधा कुमार सिंह पिता—स्व. रामाशीष सिंह ग्राम—पो०—करवासीन थाना—अजीमाबाद जिला—भोजपुर, आरा सी.भीनं०—25461/15	हृदय रोग	₹ 1,60,000/—(एक लाख साठ हजार) स्वीकृत।
3	ललन साहु पिता—परमेश्वर साहु ग्राम+पो०+थाना—सिंघीया जिला—समस्तीपुर सी.भीनं०—34070/15	हृदय रोग	₹ 85,000/—(पचासी हजार) स्वीकृत।
			कुल रू० 3,55,000/—

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,55,000/—(तीन लाख पचपन हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 509236 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०—10874584258, खाता धारक का नाम— AIIMS CT PATIENT'S ACCOUNT खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—एस० बी० आई०, शाखा का नाम—अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०—SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।

20/11/13  
11/3/18



- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतस्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...599236.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख(प्रशासन)

ज्ञापांक - 307 (14)

पटना, दिनांक - 2-3-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/सभी संबंधित मरीजों को/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/11/13  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21.1.16

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

अधीक्षक,  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 24.2.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सुप्रीया कुमारी पिता-अरविन्द किशोर चौरसीया ग्राम-घाना कालोनी, सोरंगपुर पो०-न्यु जगनपुरा थाना-रामकृष्ण नगर जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
2	सौरभ शुक्ल पिता-उदय शंकर शुक्ल ग्राम-सोनवर्षा पो०-खजुरा थाना-बेलाव जिला-भभुआ, कैमुर यूएच.आईडी-100586319	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 3,30,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,30,000/- (तीन लाख तीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 509235 ..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10874588593, खाता धारक का नाम- AIIMS PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।

3/11/12  
1/3/12

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय । अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

( डा0 आजाद हिन्द प्रसाद )  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक

ज्ञापांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 509235 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक - 2-3-16

ज्ञापांक - 308 (14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/1/16  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
श्री. हिन्द

सं० सं० 14/एम 11-2/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक

सर सुन्दर लाल हॉस्पिटल  
इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस  
वाराणसी। -221005

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 24.2.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	फुलपती देवी पति-अच्छे लाल प्रसाद ग्राम-अमवा मझार फारवा टोला, पो०-फारवा टोला थाना-मुफसिल जिला-प० चम्पारण ओ.पी.डी.नं०-1625/15	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
2	हरेन्द्र यादव पिता-स्व. चन्द्रदेव यादव ग्राम-सरखेलपार पो० जमनपुरा थाना-दाउदपुर जिला-सारण ओ.पी.डी.नं०-07/16	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
3	इन्द्रदेव भगत पिता-स्व. लाल बहादुर भगत ग्राम-अचीतपुर पो०-थाना-इसुआपुर जिला-सारण ओ.पी.डी.नं०-399/14	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
4	चन्द्रावती देवी पति-मनोज साह ग्राम-भजौना पो०-नचाप थाना-मांझी जिला-सारण ओ.पी.डी-5695/15	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।

21/11/16  
9/3/17

5	हुस्न आरा पति-अकबर हुसैन ग्राम+पो0+थाना-नासरीगंज जिला-रोहतास ओ0पी0डी-37594 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
6	उमरावती कुंवर पति-स्व. सुरेन्द्र लाल ग्राम-इटीम्हा पो0-करमा थाना-नासरीगंज जिला-रोहतास ओ.पी.डी-6373 / 15	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
7	मलीदन कुंवर पति-स्व. हरिद्वार पासी ग्राम-कर्मकीला पो0-विशुनपुर थाना-बघेला जिला-रोहतास ओ.पी.डीनं0-37974	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
8	बिपिन सिंह पिता-सत्य नारायण सिंह ग्राम-पो0-अजगरवा थाना-पकडी दयाल जिला-पूर्वी चम्पारण ओ0पी0डी-8340 / 15	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
9	वर्षा पिता-सुनील कुमार ग्राम-खोढरी पो0-डीघीटा थाना-कोचस जिला-रोहतास ओ0पी0डी-43388	पैडराइटीक्स विभाग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
10	मधु देवी पति-दीपक कुमार दुबे ग्राम-एकौनी पो0-मिंव, थाना-बेलाव जिला-भभुआ, कैमुर सीटीबीएस0-366 / 16	हृदय रोग	₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) स्वीकृत।
11	अख्तर आलम पिता-अब्दुल क्युम ग्राम-छरदवाली पो0-बैशखवा, थाना-गोपालपुर जिला-प0 चम्पारण ओ.पी.डीनं0-1592 / 15	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
12	पपुन दास पिता-प्रसाद दास ग्राम-बैजनाथपुर पो0-भलुआ, थाना-मोहनपुर जिला-गया ओ0प.डीनं0-5423 / 15	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 10,10,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,10,000/- ( दस लाख दस हजार ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 509234 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 1065 4904 247 (स्पेशल फण्ड/एकाउण्ट, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ), खाता धारक का नाम- कुल सचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0000211 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

( डा० आजाद हिन्द प्रसाद )  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 509234 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

- 342 (14)

पटना, दिनांक - 10-3-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21.03.16